सेंटर फॉर साईंस एंड एन्वायरोन्मेंट (सीएसई), नई दिल्ली

<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

बिहार सरकार ने राज्य गंगा नदी घाटी शहरों में सीवेज प्रबंधन करने के लिए नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन सीएसई से हाथ मिलाया

सीएसई, बिहार के चार शहरों के लिए नगरीय स्वच्छता योजनाएं बनाने में मदद करेगी।

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत बिहार शहरी विकास विभाग और राज्य नमामी गंगे विभाग के साथ गठबंधन किया।
- पटना में तीन दिवसीय कार्यशाला के साथ साझेदारी का उदघाटन जिसका समापन आज हुआ है।
- इस पहल के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में लक्षित 12 गंगा घाटी शहर।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य नगर निगम के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करना है।
- सीएसई, प्रभावी मल अपशिष्ट प्रबंधन और विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट शोधन को मुख्य धारा में लाने के लिए मल अपशिष्ट के लिए भारत की पहली रेफरल प्रयोगशाला स्थापित करेगी।
- सीएसई स्वतंत्र गंगा निगरानी योजना विकसित करेगी।

पटना, 22 सितंबर, 2016: भारत के महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन में 400 शहरों को लक्षित किया गया है जिनमें वर्ष 2016 के अंत तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) बनने की संभावना है। हालांकि, 'स्वच्छ' भारत सुनिश्चित करने के लिए सेप्टिक टेंकों से सीवेज के मल की भारी मात्रा के बड़े पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो अतिरिक्त शौचालयों के बनाए जाने से कई गुना बढ़ जाएगी। यह उन स्थानों के लिए विशेष तौर पर सत्य है जो ऑन–साइट स्वच्छता पर आश्रित हैं, खासा तौर पर गंगा घाटी के किनारे स्थित शहरों के लिए।

इस अंतर को दूर करने के लिए विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सीएसई), नई दिल्ली स्थित नीतिगत वकालत संगठन, बिहार शहरी विकास विभाग और राज्य नमामी गंगे विभाग ने प्रभावी सेप्टेज प्रबंधन के लिए अपने पूरे शहर के लिए स्वच्छता योजनाएं तैयार करने के लिए एकजुट होकर सहायता देने हेतु साझेदारी की है।

इस पहल का उद्देश्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में आठ अन्य शहरों के साथ–साथ बिहार में बक्सर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और बोधगया के शहरों से नगर निगम के पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण करना है। इस गठबंधन ने इस साझेदारी का उद्घाटन यहां 20–22 सितंबर, 2016 तक तीन दिवसीय कार्यशाला के साथ किया है।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए, सुरेश रोहिल्ला, कार्यक्रम निदेशक–शहरी जल प्रबंधन, सीएसई ने कहाः ''पुनरोद्वार और शहरी कायाकल्प हेतु अटल मिशन (अमृत), स्वच्छ भारत मिशन, नमामी गंगे और स्मार्ट शहरी कार्यक्रम के बीच शहरी स्वच्छता योजनाएं बनाने में अभिसरण होना चाहिए। प्रत्येक शहर स्थायी स्वच्छता कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए एक ''स्वच्छ शहर हितधारक कार्यबल'' स्थापित कर सकता है और उसे ये स्थापित करना चाहिए।''

इस अवसर पर बोलते हुए चैतन्य प्रसाद, सचिव, शहरी विकास, बिहार सरकार, ने सेप्टेज प्रबंधन के लिए जरूरी बातें प्रकाशित की और इस पर जोर दिया कि ऐसी नगर स्वच्छता योजना पर दिया जाना चाहिए जिसका कार्यान्वयन किया जा सके। उन्होंने कहा, इसके लिए अन्य के साथ–साथ मॉडल प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी), तृतीय पार्टी की भागीदारी, यदि अपेक्षित हो, प्रचालनात्मक दिशा–निर्देश, कानूनी रूपरेखा, प्रोद्यौगिकीय विकल्प और खरीद संबंधी दिशा–निर्देशों सहित उपयुक्त कार्यान्वयन कार्यनीति अपेक्षित है।

सीएसई ने प्रस्ताव किया है कि प्रभावी मल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के नियोजन, डिजाईन बनाने और इन्हें कार्यान्वित करने और विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन को मुख्यधारा में लाने के लिए भारत की पहली रेफरल प्रयोगशाला स्थापित की जाए। सीएसई ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा नमामी गंगे कार्यक्रम के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए पहले से किए जा रहे प्रयासों में मदद करने के लिए स्वतंत्र गंगा निगरानी योजना भी तैयार की है।

और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

- **नवीन कुमार, उप कार्यक्रम प्रबंधक (डिप्टी प्रोग्राम मैनेजर), जल कार्यक्रम,**
  Naveen@cseindia.org / 7898129476

- **हेमंत सुब्रहमणियन, सीएसई मीडिया रिसोर्स (संसाधन) केन्द्र, hemanth@cseindia.org / 9836748585**